[2021] 11 एस. सी. आर. 51

इराप्पा सिद्दाप्पा मुर्गन्नवर

बनाम

कर्नाटक राज्य

(आपराधिक अपील सं। 1473-1474 2017 का)

नवंबर 08,2021

[एल. नागेश्वर राव, संजीव खन्ना औरबी. आर. जी. ए. वी. ए. आई., जेजे।]

दंड संहिता, 1860: एसएस। 302 , 376 , 364 , 366 ए और 201-बलात्कार और हत्या-अभियोजन मामला जिसमें आरोपी ने बलात्कार किया और हत्या कर दी

पाँच साल की लड़की, और फिर उसके शरीर को एक बोरे में बांधकर, धारा में फेंक दिया-दोषसिद्धि और अपराध के लिए सजा

अपराध यू/एस। 302 , 376 , 364 , 366 ए और 201-उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षय और गवाह के बयानों के समग्र दृष्टिकोण पर, परिस्थितियों की शृंखला सकारात्मक रूप से अपीलार्थी के अपराध को स्थापित करती है-विरोधाभास

और अभियोजन पक्ष के मामले में उजागर विसंगतियां, नहीं

एक उचित संदेह पैदा करें-जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया जाता है वे पूरी तरह से हैं स्थापित-वे प्रकृति और प्रवृत्ति में निर्णायक हैं-शृंखला

साक्षय इतना पूर्ण है कि कोई उचित आधार नहीं छोड़ता है

अपीलार्थी की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए-केवल अपराध की परिकल्पना के अनुरूप स्थापित तथ्य

अभियुक्त और साबित की गई परिकल्पना को छोड़कर हर परिकल्पना को बाहर कर दें-इस प्रकार, निचली अदालतों का आदेश अपीलार्थी को अपराधों के लिए दोषी ठहराता है। यू/एस। 302 , 376 , 364 , 366 ए और 201 को बरकरार रखा गया।

सजा/सजा: मृत्युदंड-5 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या का अधिरोपण-दोषसिद्धि और

यू/एस. एस. अपराधों के लिए अपीलार्थी की सजा। 302 , 376 , 364 , 366 ए और 201-अधिरोपित मृत्युदंड का संचरण-आयोजित: सुधार और पुनर्वास की उम्मीद है-पर्याप्त हैं

द्वारा लगाई गई मौत की सजा को कम करने के लिए कारकों को कम करना आजीवन कारावास से नीचे की अदालतें-अपराध के समय अपीलार्थी की कम उम्र (23/25 वर्ष), उसकी कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि की अनुपस्थिति, अपराध की गैर-पूर्व-नियोजित प्रकृति, और यह कि अभियुक्त के पास है

लगभग 10 साल 10 महीने जेल में बिताना अन्य उत्तेजक कारक हैं-इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी ने एक घृणित अपराध किया है।

11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आजीवन कारावास अपने कार्यों के लिए पर्याप्त सजा और पश्चाताप के रूप में काम करेगा-इस प्रकार, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया-हालाँकि, अपीलार्थी अपराध के लिए समय से पहले रिहाई/माफी का हकदार नहीं है। 302 जब तक वह

कम से कम तीस वर्षों के लिए वास्तविक कारावास से गुजरना पड़ा।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एस. 235 (2) - का अतिक्रमण

- अपीलार्थी की याचिका-अभियुक्त कि दोषसिद्धि और सजा पर एक सामान्य आदेश पारित करके, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सजा पर अलग से नहीं सुनकर उल्लंघन किया-अभिनिर्धारित किया: अपीलार्थी को सभी प्रासंगिक सामग्रियों को अभिलेख पर रखने के लिए पर्याप्त और पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षय और गवाह के बयानों के समग्र दृष्टिकोण पर, परिस्थितियों की श्रृंखला सकारात्मक रूप से अपीलार्थी के अपराध को स्थापित करती है। हालाँकि अपीलार्थी के वकील ने बड़ी मेहनत से अभियोजन पक्ष के मामले में विरोधाभासों और विसंगतियों को उजागर करने की कोशिश की है।

ऐसा माना जाता है कि ये इस न्यायालय के मन में एक उचित संदेह पैदा नहीं करते हैं। शरद बर्डहिचंद सारदा के मामले में निर्धारित पाँच गुना परीक्षण संतुष्ट हैं क्योंकि जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है वे पूरी तरह से स्थापित हैं; वे प्रकृति में निर्णायक हैं और

अपीलार्थी की निर्दोषता; स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप हैं और साबित की गई परिकल्पना को छोड़कर हर परिकल्पना को बाहर करते हैं। का निर्णय उच्च न्यायालय के साथ-साथ जिला और सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी को आर आदि के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराया है। [पैरा 21] [67-जी-एच; 68-ए-बी]

शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116: [1985] 1 एस. सी. आर. 88-निर्भर।

1.2 बचाव पक्ष को चश्मदीद गवाहों द्वारा प्रस्तुत किए गए नेत्र साक्षय में विरोधाभासों पर भरोसा करने और किसी भी तथ्य को उजागर करने का अधिकार है।

उनके बयानों और अभियोजन पक्ष के मामले के बीच असंगति। यह सार्वभौमिक रूप से पुष्ट स्थिति नहीं है कि गवाहों का लाभ उठाने के लिए बचाव पक्ष द्वारा सामना किया जाना चाहिए।

विरोधाभास।

[पैरा 12] [64-डी] आई. आर. ए. पी. पी. ए. सिददाप्पा मुर्गन्नवर बनाम। कर्नाटक राज्य

यह उस स्थान/स्थान को इंगित करता है जहाँ पीडब्लू-7 रहता है और गाँव से धारा तक का मार्ग भी, जो लगभग एक किलोमीटर लंबा है। पीडब्लू-15 ने पदच्युत किया है कि उनके खेत के बगल में धारा के किनारे अपशिष्ट झाड़ियाँ होने के कारण झाड़ियों के माध्यम से धारा तक जाना मुश्किल था। उसकी जमीन के बगल में खेत पड़े हैं। दूसरों से संबंधित, जिसके आगे एक कब्रिस्तान था जहाँ लोग आमतौर पर विषम समय पर नहीं जाते थे। दूसरा, यह मानने के लिए अच्छे और ठोस कारण हैं कि पीडब्लू-8, पीडब्लू-9 और पीडब्लू-10 द्वारा अपदस्थ की गई 30 दिसंबर 2010 की तारीख उस सही तारीख को याद करने में विफलता के कारण है जब उन्होंने अपीलार्थी को एक बोरे के साथ और लड़की को उसके कंधे पर देखा था, और इस तथ्य पर गलत बयान के कारण नहीं कि अपीलार्थी को लगभग 8 बजे बच्चे को ले जाते हुए देखा गया था: 30 पी. एम गवाह गाँव के निवासी हैं और चूंकि उनके साक्षय घटना के लगभग एक साल बाद दर्ज किए गए थे, इसलिए उन्हें संभवत: घटना की तारीख याद नहीं होगी।

देखना, उस तारीख के कारण, विशेष रूप से उन तारीखों में

ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रासंगिकता या परिणाम नहीं हो सकता है। [पैरा 13,14] [64-ई-एच; 65-ए-बी]

1.4 29 दिसंबर 2010 को, पीडब्लू-4 ने लगभग 5 बजे लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज की थी: 00 30 दिसंबर 2010 को,

आर, पीडब्लू-1 और पीडब्लू-19 के माता-पिता भी गाँव पहुँच चुके थे। यदि पीडब्लू-8, पीडब्लू-9 और पीडब्लू-10 ने 30 दिसंबर 2010 को अपीलार्थी को बच्ची को अपने कंधे पर लिए हुए देखा था, तो वे

उन्होंने तुरंत उससे संपर्क किया और उससे लड़की के बारे में पूछताछ की, क्योंकि तब तक आर का गायब होना सभी ग्रामीणों के लिए आम जानकारी हो गई थी। इसलिए, जिस तारीख को पीडब्लू-8, पीडब्लू-9 और पीडब्लू-10 ने अपीलार्थी को छोटी लड़की को अपने कंधे पर लिए देखा, वह 30 दिसंबर 2010 नहीं थी। बल्कि, 30 दिसंबर 2010 वह तारीख थी जिस पर इन गवाहों ने अन्य ग्रामीणों को सूचित किया था कि उन्होंने अपीलार्थी को लगभग दो दिन पहले एक छोटी लड़की को अपने कंधे पर लिए हुए देखा था। पीडब्लू-8, पीडब्लू-9 और पीडब्लू-10 द्वारा दिए गए बयानों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर यह स्पष्ट हो जाता है।

कि वे 30 दिसंबर 2010 को पीडब्लू-1 से मिले थे और उन्हें देखने के बारे में सूचित किया था। इस प्रकार तिथियों की असंगतता को अनजाने में या गुजरने के कारण तनावपूर्ण स्मृति के रूप में समझाया जा सकता है।

समय, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी के खिलाफ मामला विस्थापित नहीं हुआ है जिसे अभियोजन पक्ष ने बनाया है। [पैरा 15] [65-बी-एफ] [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.5 इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची है कि

अदालत का हिस्सा अपने साक्षय को दर्ज करता है। [पैरा 16] [65-जी-एच; 66-ए] 2.1 विवादित निर्णय निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा पर विचार करने में उच्च न्यायालय की ओर से मामले-कानून के व्यापक अध्ययन का खुलासा करता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के समग्र दृष्टिकोण पर, उच्च न्यायालय की राय थी कि मौत की सजा की पुष्टि की जानी चाहिए, कि कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ नहीं पाई जानी चाहिए, और कई गंभीर परिस्थितियाँ थीं जैसा कि अपीलार्थी को जाना जाता था

आर, जिन्होंने उन पर पूरा भरोसा और विश्वास किया और स्वेच्छा से

उसे उसे साथ ले जाने की अनुमति दी, लेकिन उसके साथ बलात्कार किया गया और सबसे वीभत्स तरीके से उसकी हत्या कर दी गई और उसके शरीर को नदी में फेंक दिया गया। अपीलार्थी की प्रेरणा, मृतक आर की भेद्यता, अपराध की व्यापकता और उसके निष्पादन, न्यायालय ने मामले को "दुर्लभतम से दुर्लभतम" श्रेणी में आने वाला माना, और दूसरों को नृशंस अपराध करने से रोकने के लिए मौत की सजा का आश्वासन दिया, और ऐसे अपराधों के प्रति समाज की घृणा को जोरदार अभिव्यक्ति दी। [पैरा 23] [68 डी-जी]

2.2 प्रत्यर्थी राज्य द्वारा दायर आपत्ति का बयान उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से बल प्राप्त करना चाहता है। में।

इसके अलावा, प्रत्यर्थी राज्य ने इस आधार पर मौत की सजा का बचाव किया है कि अपीलार्थी की कार्रवाई समाज के नैतिक ताने-बाने को खतरे में डालने वाला एक गंभीर और असामान्य अपराध है। निवेदन में कहा गया है कि यह मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मामलों की श्रेणी में आता है क्योंकि अपीलार्थी ने बिस्कुट देने के बहाने पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की और उसके शव को नदी में फेंक दिया। मृतक आर प्रतिरोध प्रदान नहीं कर सकता था, अपराध के लिए बहुत कम उकसावा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों पर भरोसा करते हुए जो दर्शाता है कि बलात्कार के औसतन 77 कृत्य थे

वर्ष 2020 में भारत में दैनिक रूप से किए गए कार्य के लिए, वकील ने अपीलार्थी के कार्यों के लिए निवारक दंड की मांग की है।

[पैरा 25] [70 सी-ई] आई. आर. ए. पी. पी. ए. सिददाप्पा मुर्गन्नवर बनाम। कर्नाटक राज्य

2.3 जहाँ तक इस दलील का संबंध है कि एस का उल्लंघन हुआ है। 235 (2) दंड प्रक्रिया संहिता, जो यह आदेश देती है कि अभियुक्त की बात सुनी जानी चाहिए, के अनुसार डगडू के मामले में निर्धारित सिद्धांत के अनुसार, अपीलार्थी को सभी प्रासंगिक सामग्रियों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए पर्याप्त और पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। [पैरा 26] [70-एफ-जी; 71-डी]

2.4 निचली अदालत ने दर्ज किया कि मौत की सजा इस आधार पर दी गई थी कि "अपराध एक मामले में किया गया था।

बेहद शैतानी तरीके से और यह कि यह क्रूर, बर्बर और विद्रोही था। यह सही बताया गया है कि निचली अदालत ने

कम करने वाले कारक। उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई नहीं है परिस्थितियों को बिल्कुल भी कम करना। यह अवलोकन गलत है। शुरुआत में, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का कोई अपराधी नहीं था

पूर्ववृत्त और न ही यह साबित करने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत किया गया था कि अपराध पूर्व नियोजित था। राज्य द्वारा यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं दिखाई गई है कि अपीलार्थी नहीं हो सकता है इसमें सुधार किया गया है और यह समाज के लिए एक निरंतर खतरा है। इसके विपरीत, इसे मृत्युदंड कैदी नामवाचक सूची से देखा जा सकता है।

मुख्य अधीक्षक, केंद्रीय कारागार द्वारा जारी किया गया कि जेल में अपीलार्थी का आचरण 'संतोषजनक' रहा है। जेल में अपीलार्थी के आचरण को उसके पिछले कार्यों के लिए प्रायश्चित माना जाएगा, जो सुधार और मानवीय मोड़ लेने की उसकी इच्छा को भी दर्शाता है। इसके अलावा, अपराध करने के समय अपीलार्थी की कम उम्र (23/25 वर्ष), उसकी कमजोर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि की अनुपस्थिति, अपराध की गैर-पूर्व-नियोजित प्रकृति, और यह तथ्य कि उसने

लगभग 10 वर्ष 10 महीने जेल में बिताए हैं, अन्य विस्तारक कारकों के रूप में वजन किया है, जो मृत्युदंड के अधिरोपण के खिलाफ जोड़ते हैं जो केवल दुर्लभतम मामलों में ही लगाया जाना है। प्रत्यर्थी राज्य ने इस संभावना को साबित करने के लिए कुछ नहीं दिखाया है कि अपीलार्थी समाज के लिए निरंतर खतरे के रूप में हिंसा के कृत्य करेगा; इसके विपरीत, जेल में उसके आचरण को संतोषजनक बताया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी ने एक घृणित अपराध किया है और इसके लिए यह माना जाता है कि आजीवन कारावास पर्याप्त होगा।

उसके कार्यों के लिए सजा और पश्चाताप, यह विश्वास करने के लिए किसी भी सामग्री के अभाव में कि अगर उसे जीने की अनुमति दी जाती है तो वह एक कब्र बन जाता है और [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समाज के लिए गंभीर खतरा, और आजीवन कारावास भी इस तरह के किसी भी खतरे को दूर करेगा। ऐसा माना जाता है कि सुधार, पुनर्वास की उम्मीद है, और इस प्रकार आजीवन कारावास का विकल्प निश्चित रूप से बंद नहीं है और इसलिए स्वीकार्य है। [पैरा 28] [72-डी-जी; 73-ए-डी]

2.5 सत्र न्यायालय द्वारा लगाई गई और पुष्टि की गई मौत की सजा को कम करने के लिए पर्याप्त कारक हैं

उच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास में, इस निर्देश के साथ कि अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 303 के तहत अपराध के लिए समय से पहले रिहाई/छूट का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह कम से कम तीस के लिए वास्तविक कारावास से नहीं गुजरता है।

(30) वर्षों से। अन्य वाक्यों को बनाए रखते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि

सजाएं समवर्ती रूप से चलेंगी और लगातार नहीं, क्योंकि अपीलार्थी को संहिता की धारा 376 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जो सजा भी है

संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए अधिरोपित। [पैरा 29] [73-डी-एफ] 2.6 अपीलार्थी को संहिता की धारा 302,376,364,366ए और 201 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाना और

संहिता की धारा 376,364,366ए और 201 के तहत अपराधों के लिए दी गई सजा को बरकरार रखा गया है। मृत्युदंड को इस शर्त के साथ आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है कि अपीलार्थी

संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए 30 साल के वास्तविक कारावास से गुजरने से पहले समय से पहले रिहाई/छूट का हकदार नहीं होगा और आगे दी गई सजाएं समवर्ती रूप से चलेंगी न कि लगातार। [पैरा 30] [73-एफ-जी; 74-ए]

शांति देवी बनाम। राजस्थान राज्य (2012) 12 एससीसी 158: [2012] 9 एस. सी. आर. 226; रंजीत कुमार हलदर बनाम। सिक्किम राज्य (2019) 7 एससीसी 684: [2019] 9 एससीआर 754; सांता सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1976) 4 एससीसी 190: [1977] 1 एस. सी. आर. 229; डागडू और अन्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1977) 3 एससीसी 68: [1977] 3 एस. सी. आर. 636; शत्रुघ्न बबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2021) 1 एस. सी. सी. 596; बंटू उर्फ नरेश गिरि बनाम। मध्य प्रदेश राज्य

(2001) 9 एस. सी. सी. 615 [2001] 4 पूरक। एससीआर 298; पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (2015) 6 एस. सी. सी. 652 [2015] 5 एस. सी. आर. 1112; मुल्ला बनाम।

राज्य आई. आर. ए. पी. पी. ए. सिद्दाप्पा मुर्गन्नवर बनाम। कर्नाटक राज्य

उत्तर प्रदेश (2010) 3 एस. सी. सी. 508: [2010] 2 एस. सी. आर. 633; मोहन वी. टी. एन. राज्य (1998) 5 एस. सी. सी. 336: [1998] 3 एससीआर 317;

अख्तर बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1999) 6 एससीसी 60; भारत संघ

वी. वी. श्रीहरण उर्फ मुरुगन और अन्य (2016) 7 एससीसी

1 : [2015] 14 एससीआर 613।

मोदी की मेडिकल न्यायशास्त्र की पाठ्यपुस्तक और

टॉक्सिकोलॉजी, 25 वां संस्करण (2016), अध्याय XV-पोस्ट

मृत्यु परिवर्तन और मृत्यु का समय '। पृष्ठ 352-संदर्भित

को।

मामला कानून संदर्भ

[2012] 9 एससीआर 226

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[2019] 9 एससीआर 754

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[1985] 1 एससीआर 88

उस पर भरोसा करें

पैरा 21

[1977] 1 एससीआर 229

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

[1977] 3 एससीआर 636

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

(2021) 1 एस. सी. सी. 596

पैरा 26

संदर्भित किया गया है

[2001] 4 पूरक। एससीआर 298

संदर्भित किया गया है

पैरा 27

[2015] 5 एससीआर 1112

पैरा 28

संदर्भित किया गया है

[2010] 2 एससीआर 633

संदर्भित किया गया है

पैरा 28

[1998] 3 एससीआर 317

पैरा 28

संदर्भित किया गया है

(1999) 6 एससीसी 60

संदर्भित किया गया है

पैरा 28

[2015] 14 एससीआर 613

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

नं. 1473-1474 2017 से।

उच्च न्यायालय के 06.03.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 की आपराधिक अपील No.2082 और 2013 की आपराधिक संदर्भित मामला संख्या 32 में कर्नाटक की धारवाड़ पीठ।

गौरव अग्रवाल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। निखिल गोयल, ए. ए. जी., वी. एन. रघुपति, विनय मैथ्यू, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

[2021] 11

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजीव खन्ना, जे।

1. 6 मार्च 2017 को धारवाड़ में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा चुनौती के तहत पारित निर्णय, अपीलार्थी-इरप्पा सिद्दप्पा मुर्गन्नवर की भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, 'संहिता') की धारा 232,376,364,366ए और 201 के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि करता है और धारा 302 के तहत अपराध के लिए मौत की सजा की पुष्टि करता है। धारा 376 के तहत अपराध के लिए आजीवन

कारावास, छह साल के लिए कठोर कारावास और धारा 364 और 366ए के तहत अपराधों के लिए चूक की शर्त के साथ, 000/- का जुर्माना और कठोर कारावास।

दो साल के लिए कारावास और 2,000/- रुपये का जुर्माना

संहिता की धारा 201 के तहत अपराध के लिए प्रावधान। संहिता की धारा 376,364,366ए और 201 के तहत सजाएं लगातार चलने का निर्देश दिया जाता है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलार्थी ने मृतक आर के साथ बलात्कार किया, गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, और फिर उसके शरीर को एक बोरे में बांधकर बेनीहल्ला नामक धारा में फेंक दिया। चूँकि अपराधों के लिए कोई चश्मदीद गवाह नहीं हैं, इन अभिधारणाओं को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने तीन गुना पर भरोसा किया है।

परिस्थितियाँ: (i) कि अपीलार्थी 28 दिसंबर 2010 को एक पड़ोसी के घर से आर ले गया; (ii) कि अपीलार्थी को आखिरी बार कुछ गवाहों द्वारा आर और एक बोरे के साथ बेनीहल्ला की ओर देखा गया था।

धारा; और (iii) कि 1 जनवरी 2011 को अपीलार्थी के प्रकटीकरण बयान के आधार पर, आर का शव एक बोरे में बरामद किया गया था।

बेनिहल्ला से।

3. 5 साल और 2 महीने की लड़की आर, अपने नाना रंगप्पा के साथ गाँव खानपुर, तालुका नरगुंड, ज़िले में रह रही थी।

गदग, कर्नाटक, जबकि उनके माता-पिता मैंगलोर, कर्नाटक में काम करते थे। रंगप्पा के पड़ोसियों वेंकव्वा पाटिल (पीडब्लू-5) और उनके भतीजे अजीत पाटिल (पीडब्लू-6) ने गवाही दी है कि 28 दिसंबर 2010 को लगभग 6 बजे: 30 शाम को आर उनके घर टीवी देखने आया था। लगभग 6 बजे: 30 पी. एम. अपीलार्थी भी उनके घर आया था। वह आर से बात कर रहा था और उसके बिस्कुट खरीदने के बहाने उसे अपने साथ ले गया। रंगप्पा के भाई हनमप्पा (पीडब्लू-4) ने गवाही दी कि आर उस रात वापस नहीं आया और उग्र प्रयासों के बावजूद उसका पता नहीं चल सका। अगले दिन, उन्होंने वेंकव्वा पाटिल (पीडब्लू-5) के घर पर आर के ठिकाने के बारे में पूछताछ की, जहाँ उन्हें सूचित किया गया कि अपीलार्थी आर को अपने साथ ले गया है।

हनमप्पा इराप्पा सिददाप्पा मुर्गन्नवर बनाम। कर्नाटक राज्य [संजीव खन्ना, जे.]

(पीडब्लू-4) ने नरगुंड पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई

29 दिसंबर 2010 को (प्रदर्शनी पी-6)। इस शिकायत में कहा गया है कि 28 दिसंबर 2010 को रात 9 बजे उन्हें मल्लनगौड़ा कागदल (पीडब्लू-14) ने सूचित किया कि आर लापता है, जिसके बाद वह अपने

भाई रंगप्पा के घर गए और अपने भाई की बेटी यल्लव्वा मैंगलोर (पीडब्लू-23) से पता चला कि आर वेंकव्वा पाटिल (पीडब्लू-5) के घर गए थे

6 बजे: 30 पी. एम. टीवी देखने के लिए, और यह कि उन्होंने अन्य लोगों के साथ आर का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। शिकायत में अपीलार्थी की संलिप्तता का उल्लेख नहीं है, एक तथ्य जो अपीलार्थी के वकील द्वारा गिना जाता है जिसे बाद में संबोधित किया जाएगा। इसी तरह, यल्लव्व

मैंगलोर (पीडब्लू-23) ने गवाही दी है कि आर लगभग 6 बजे अपने पड़ोसी के घर गई थी: 30 28 दिसंबर 2010 को शाम को टीवी देखने के लिए। चूंकि आर घर नहीं लौटा, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसी वेंकव्वा पाटिल (पीडब्लू-5) से पूछताछ की, जिन्होंने पुष्टि की थी कि आर टीवी देखने के लिए उसके घर आया था और हो सकता है कि वह बाहर गई हो। यल्लव्वा मैंगलोर (पीडब्लू-23) ने आर की तलाश की थी और असफल होने पर अपने पिता और चाचाओं को सूचित किया था। आर.

उक्त तिथि पर या 29 दिसंबर 2010 को स्थित नहीं हो सका।

4. हनमप्पा (पीडब्लू-4) और यल्लव मैंगलोर (पीडब्लू-23) से पता चला कि आर लापता है, उसके पिता संगनबसप्पा (पीडब्लू-1) और माँ शिवलीला (पीडब्लू-19) 30 दिसंबर 2010 को खानपुर लौट आए। इसके बाद, आर की व्यापक खोज की गई, लेकिन वह नहीं मिली। सांगनाबसप्पा (पीडब्लू-1) ने कहा है कि उन्हें भीमप्पा तलावर (पीडब्लू-8), हनमप्पा तलावर (पीडब्लू-10) और अन्य लोगों ने बताया था कि उन्होंने अपीलार्थी को अपनी बेटी को कहीं ले जाते देखा था। तब उन्होंने 1 जनवरी 2011 को 12 बजे नरगुंड पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी: 30 ए. एम. (प्रदर्शनी पी-1), जिसका हम बाद में उल्लेख करेंगे। हनमप्पा (पीडब्लू-4) ने इसी तरह गवाही दी है कि उन्हें गाँव के निवासियों भीमप्पा तलावर (पीडब्लू-8), गादिगेप्पा तलावर (पीडब्लू-9) और हनमप्पा तलावर (पी-10) से पता चला था कि उन्होंने अपीलार्थी को आर को अपने कंधे पर लिए हुए और बेनीहल्ला धारा की ओर जाते हुए देखा था। इसके बाद, वह पुलिस स्टेशन गया और अपीलार्थी की संभावित संलिप्तता के बारे में पुलिस को सूचित किया। इसी तरह, वेंकव्वा पाटिल (पीडब्लू-5) ने बयान दिया है कि उसे पुलिस से पता चला कि यल्लप्पगौड़ा कागदल (पीडब्लू-7), भीमप्पा तलावर (पीडब्लू-8), गादिगेप्पा तलावर (पीडब्लू-9) और हनमप्पा तलावर (पी-10) ने अपीलार्थी को एक बंदूक लिए हुए देखा था

थैला और मृतक आर, नदी की ओर चल रहे हैं। इन साक्षयों को, आगे विस्तार से नीचे दिया गया है, अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी को आर और एक बोरे के साथ नदी की ओर चलते हुए देखा गया था।

5. यल्लप्पगौड़ा कागदल (पीडब्लू-7) ने अपने शपथ पत्र में अभियोजन पक्ष के बयान की पुष्टि की है कि 28 दिसंबर 2010 को लगभग

8: 30 जब वह अपने घर के पास खड़ा था, तो उसने अपीलार्थी को एक बच्चे (जो एक फ्रॉक पहने हुए था) और एक बोरे के साथ बस स्टैंड रोड से गुजरते देखा। उसने सोचा कि अपीलार्थी उक्त लड़की को उसके घर ले जा रहा है। इसके बाद उन्होंने दूसरों को सूचित किया और भीमप्पा तलावर (पीडब्लू-8), गादिगेप्पा तलावर (पीडब्लू-9) और हनमप्पा तलावर (पीडब्लू-10) से पता चला कि उन्होंने भी अपीलार्थी को लगभग 8 बजे अपने साथ एक लड़की को ले जाते देखा था: 30 28 दिसंबर 2010 को अपराह्न। भीमप्पा तलावर (पीडब्लू-8), गादिगेप्पा तलावर (पीडब्लू-9) और हनमप्पा तलावर (पीडब्लू-10) ने अपने बयानों में पुष्टि की है कि उन्होंने अपीलार्थी को 8 बजे अपने कंधे पर एक लड़की और एक बोरे को लिए हुए देखा था: 30 अपराह्न। हालाँकि, उन्होंने कहा है कि यह 30 दिसंबर 2010 को देखा गया था। हम बाद में तारीख की इस विसंगति और भिन्नता की जांच करेंगे।

6. अजीत पाटिल (पीडब्लू-6) ने अपनी गवाही में कहा है कि उन्होंने अपीलार्थी की तलाश की थी लेकिन वह गाँव छोड़ कर चला गया था। यह भी था

एक कारक, अन्य लोगों के साथ, इस संदेह में योगदान देता है कि अपीलार्थी ने आर का बलात्कार करने और उसे मारने के इरादे से अपहरण किया था।

(पीडब्लू-25) 1 जनवरी 2011 को। उन्होंने अपीलार्थी की तलाश की और बाद में उसी दिन उसे गौड़प्पगौड़ा हनमंतगौड़ा कागदल के सामने गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की तारीख और समय जैसा कि में दिखाया गया है

आरोप पत्र 1 जनवरी 2011 को 4 बजे है: 30 मैं। बी. विजयकुमार (पीडब्लू-24) ने गवाही दी है कि अपीलार्थी ने गिरफ्तारी के बाद एक प्रकटीकरण बयान (प्रदर्शनी पी-17) दिया था, जिसमें उसने अन्य बातों के साथ कहा है कि उसने आर के शरीर को दो पत्थरों के साथ एक थैले में डाला, थैले का मुंह बांध दिया और उसे बेनीहल्ला के पानी में फेंक दिया। प्रकटीकरण बयान के आधार पर, अपीलार्थी को एक के खेत के पास बेनीहल्ला ले जाया गया

श्रीनिवासरेड्डी रामनगौड़ा होसमनी (पीडब्लू-15) जहाँ उन्होंने वह स्थान दिखाया था जहाँ उन्होंने आर के शव को फेंका था। इसी तरह, राजेशाब नदाफ (पीडब्लू-11) और शंकरप्पा तडासी (पीडब्लू-12) ने लगभग समान गवाही में कहा है कि अपीलार्थी ने बेनिहल्ला में वह स्थान दिखाया था जहाँ उन्होंने आर के शव को दो पत्थरों के साथ एक बोरे में बांधकर डुबो दिया था। पुलिस के निर्देश पर, उन्होंने पानी में गोता लगाया और दो पत्थरों के साथ एक बोरे में आर का शव पाया। इन पत्थरों की पहचान राजेशाब नदाफ आईआरएपीपीए सिददाप्पा मुर्गनावर बनाम द्वारा की गई थी।

कर्नाटक राज्य [संजीव खन्ना, जे.]

(पीडब्लू-11) और शंकरप्पा तडासी (पीडब्लू-12) और एमओ. 1 और एमओ. 2 को चिह्नित किया।

जबकि बारूद के थैले पर एम. ओ. 3 चिह्नित था और आर द्वारा पहना गया फ्रॉक था

एमओ. 4 के रूप में चिह्नित। राजेशाब नदाफ (पीडब्लू-11) और शंकरप्पा तडासी (पीडब्लू-12) द्वारा प्रतिपादित कथन की पुष्टि पंच गवाहों द्वारा की जाती है। श्रीनिवासरेड्डी रामनगौड़ा होसमनी (पीडब्लू-15) ने यह भी कहा कि पुलिस ने दो लोगों को पानी में प्रवेश करने के लिए कहा था, जिन्हें उनके पंप सेट से जुड़ी पाइप के पास एक बोरी मिली। दो पत्थरों के साथ आर के शव को खोजने के लिए बोरी खोली गई थी। अभियोजन पक्ष ने इन बयानों पर इस साक्षय पर भरोसा किया है कि आर का शव अपीलार्थी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर धारा से बरामद किया गया था।

8. गवाह के बयानों और सबूतों को नोट करने के बाद अभियोजन पक्ष द्वारा कमीशन की परिस्थितियों को साबित करने के लिए भरोसा किया गया

अपराधों में, हम गवाहों के बयानों और अभियोजन पक्ष के मामले में विसंगतियों के निहितार्थ की जांच करेंगे, जो अपीलार्थी का वकील प्रस्तुत करता है, यह स्थापित करता है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

9. पहली कथित विसंगति हनमप्पा (पीडब्लू-4) और यल्लव मैंगलोर (पीडब्लू-23) की गवाही और वेंकव्वा पाटिल (पीडब्लू-5) और अजीत पाटिल (पीडब्लू-6) की गवाही पर आधारित है, जिसमें वेंकव्वा पाटिल (पीडब्लू-5) के घर में अपीलार्थी की उपस्थिति के बारे में बताया गया है।

28 दिसंबर 2010 को 6 बजे: 30 अपराह्न। अपीलार्थी के वकील ने प्रस्तुत किया कि यह दावा कि अपीलार्थी आर को उसके बिस्कुट प्राप्त करने के बहाने अपने साथ ले गया, एक विचारशील और मनगढ़ंत साक्षय है। इस संबंध में, वह प्रदर्शनी पी-6, यानी हनमप्पा (पीडब्लू-4) द्वारा 29 दिसंबर 2010 को 5 बजे दायर की गई शिकायत पर भरोसा करते हैं: 00 अपराह्न, जिसमें वेंकव्वा पाटिल के आवास पर अपीलार्थी की उपस्थिति का कोई उल्लेख नहीं है।

(पीडब्लू-5) और अजीत पाटिल (पीडब्लू-6) या कि उन्होंने गवाह के बयानों में इस तथ्य के बावजूद आर को अपने साथ ले लिया था कि अपीलार्थी ने आर को दाखिल करने से पहले हनमप्पा (पीडब्लू-4) को सूचित कर दिया गया था

शिकायत की। रिलायंस को पीएसआई एस. एस. कामथागी (पीडब्लू-25) की गवाही पर भी रखा गया है, जो दावा करता है कि उसने शिकायत दर्ज करने के बाद गांव का दौरा किया था (प्रदर्शनी पी-6) और आर का पता लगाने के लिए सफलता के बिना प्रयास किए। हमारा ध्यान 31 दिसंबर 2010 और 1 जनवरी 2011 की दरम्यानी रात को सांगनाबसप्पा (प्रदर्शनी पी-1) द्वारा दिए गए बयान के आधार पर दर्ज की गई प्राथमिकी (प्रदर्शनी पी-22) की ओर आकर्षित किया गया था। एफ़आईआर

उल्लेख है कि वेंकव्वा पाटिल (पीडब्लू-5) और अजीत पाटिल (पीडब्लू-6) ने संगनबसप्पा (पीडब्लू-1) को सूचित किया था कि अपीलार्थी आर को अपने साथ ले गया था, और [2021] 11 एस. सी. आर.

कि सांगनाबसप्पा (पीडब्लू-1) को इस तथ्य का पता 30 दिसंबर 2010 को ही चला। अपीलार्थी के वकील ने तर्क दिया है कि वेंकव्वा पाटिल (पीडब्लू-5) और अजीत पाटिल (पीडब्लू-6) ने अपीलार्थी का नाम नहीं लिया, हालांकि आर 6 से गायब था: 30 28 दिसंबर 2010 को दोपहर बाद, और अपीलार्थी की संलिप्तता का पहला उल्लेख केवल 1 जनवरी 2011 की प्राथमिकी में सामने आता है। इसलिए, वेंकव्वा पाटिल (पीडब्लू-5) और अजीत पाटिल (पीडब्लू-6) द्वारा प्रस्तुत और बयानों पर आधारित 'लास्ट सीन' का साक्षय अस्थिर और संदिग्ध है।

10. खानपुर एक छोटा सा गाँव है, जो सुनसान है और शहरी क्षेत्रों या अन्य बस्तियों से दूर है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि निकटतम पुलिस स्टेशन लगभग उन्नीस किलोमीटर दूर स्थित है। हनमप्पा

समुदाय घनिष्ठ हैं, और ज्ञात ग्रामीणों के बीच सौहार्द, विश्वास और विश्वास को देखते हुए, हनमप्पा (पीडब्लू-4), वेंकव्वा पाटिल (पीडब्लू-5) और अजीत पाटिल (पीडब्लू-6) को शुरू में आर के लापता होने में अपीलार्थी की गड़बड़ी पर संदेह नहीं हुआ होगा। शिकायत (प्रदर्शनी पी-6) छोटी और संक्षिप्त है; जबकि यह उल्लेख करते हुए कि आर लापता था, यह दर्ज नहीं करता है कि उसके साथ किसी ने बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी गई। यह हनमप्पा (पीडब्लू-4) की प्रतिपरीक्षा से भी स्पष्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि शिकायत दर्ज करने के समय, उन्हें यह नहीं पता था कि अपीलार्थी ने कोई अपराध किया था या नहीं। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी की संलिप्तता के बारे में निहितार्थ इसके तुरंत बाद, यानी 31 दिसंबर 2010 को किया गया था। तब तक पूरा गाँव खतरे की स्थिति में था और चिंतित था कि गाँव के किसी व्यक्ति द्वारा एक भयानक अपराध किया गया था। यल्लप्पगौड़ा कागदल (पीडब्लू-7), भीमप्पा तलावर (पीडब्लू-8), गादिगेप्पा तलावर (पीडब्लू-9) और हनमप्पा तलावर (पीडब्लू-10) आगे आए और कहा कि उन्होंने अपीलार्थी को एक बच्चे को बेनीहल्ला की ओर ले जाते हुए देखा है। अपीलार्थी, पेशे से चालक, लापता हो गया था।

अजीत पाटिल (पीडब्लू-6) की गवाही के अनुसार। इसलिए, अपीलार्थी, जो स्पष्ट रूप से वेंकव्वा पाटिल (पीडब्लू-5) और अजीत पाटिल (पीडब्लू-6) के करीबी थे और टेलीविजन देखने के लिए उनके घर आए थे, पर सीधे आरोप लगाने के लिए केवल गैर-झुकाव, हनमप्पा के (पीडब्लू-4) संस्करण को दरकिनार करने का आधार नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपीलार्थी का नाम नहीं लिया था, या वेंकावा पाटिल (पीडब्लू-5) और अजीत पाटिल (पीडब्लू-6) के बयान जो आर ने अपीलार्थी के पास छोड़े थे। कोई यह स्वीकार कर सकता है कि कुछ हो सकता है

वेंकव्वा पाटिल (पीडब्लू-5) और अजीत पाटिल (पीडब्लू-6) के बयानों में इस हद तक अतिशयोक्ति की गई है कि उन्होंने अपीलार्थी को आई. आर. ए. पी. ए. सिद्दाप्पा मुर्गनावर बनाम के साथ बातचीत करते हुए सुना था।

आर और यह कि वह उसे एक बिस्कुट देने के बहाने ले गया था, लेकिन इससे इस तथ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि अपीलार्थी और पीड़ित आर 6 बजे वेंकव्वा पाटिल (पीडब्लू-5) और अजीत पाटिल (पीडब्लू-6) के घर में मौजूद थे: 30 28 दिसंबर 2010 को शाम को वे टीवी देखने गए थे। बल्कि यह अभिनिर्धारित करना अविवेकपूर्ण होगा कि अपीलार्थी 28 दिसंबर 2010 को शाम 6:30 बजे वेंकव्वा पाटिल (पीडब्लू-5) और अजीत पाटिल (पीडब्लू-6) के घर नहीं गया था, जब आर भी मौजूद था, और यह कि अपीलार्थी आर को अपने साथ ले जाने के लिए चला गया था।

11. यल्लप्पगौड़ा कागदल (पीडब्लू-7), भीमप्पा तलावर (पीडब्लू-8) की गवाही पर सूक्ष्म ध्यान देना उचित होगा।

गादिगेप्पा तलावर (पीडब्लू-9) और हनमप्पा तलावर (पीडब्लू-10)। इन ग्रामीणों के पास फिर से संदेह करने का कोई कारण नहीं था कि अपीलकर्ता, जो अपने कंधे पर एक बच्चे को ले जा रहा था, बलात्कार और हत्या के आपराधिक कृत्य का दोषी था या वह पीड़ित के शरीर को नदी में फेंकने के उद्देश्य से अपने कंधे पर एक बोरे ले जा रहा था। यह बात समझ में आती है। यल्लप्पगौड़ा कागदल (पीडब्लू-7) के बयान से जिसके अनुसार उसने मान लिया कि अपीलार्थी लड़की को उसके घर ले जा रहा था। इसके बाद स्थिति तेजी से बदल गई, जैसा कि 31 दिसंबर 2010 और 1 जनवरी 2011 की दरम्यानी रात को सांगनाबसप्पा (पीडब्लू-1) द्वारा दिए गए बयान में परिलक्षित होता है, जिसमें उन्होंने अपीलार्थी पर संदेह जताया है। यह बयान ग्रामीण वातावरण में लोगों के गुस्से को दर्शाता है क्योंकि आस्था ने अविश्वास को रास्ता दिया था। उस समय तक, ग्रामीण आर का पता नहीं लगा पाए थे, जिसे आखिरी बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था, जिसे बदले में एक बच्चे और एक बोरे के साथ देखा गया था, और इसलिए, उन्हें संदेह था कि आर का बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि आर के गायब होने और गायब होने का कोई अन्य कारण नहीं था, वह केवल पांच साल की लड़की थी जो शाम को एक पड़ोसी के घर टीवी देखने गई थी। पीएसआई एस. एस. कामथागी (पीडब्लू-25) का बयान किसी भी तरह से नहीं है।

संगनबसप्पा (पीडब्लू-1), हनमप्पा (पीडब्लू-4), वेंकव्वा पाटिल (पीडब्लू-5), अजीत पाटिल (पीडब्लू-6), यल्लप्पगौड़ा कागदल (पीडब्लू-7), भीमप्पा तलावर के अभियोजन पक्ष के बयान या गवाही का खंडन किया। (पीडब्लू-8), गादिगेप्पा तलावर (पीडब्लू-9), हनमप्पा तलावर (पीडब्लू-10), और यल्लव मैंगलोर (पीडब्लू-23)।

12. अब हम अदालत में तारीख की विसंगति की जांच करेंगे।

यल्लापागौड़ा कागदल (पीडब्लू-7), भीमप्पा तलावर की गवाही (पीडब्लू-8), गादिगेप्पा तलावर (पीडब्लू-9) और हनमप्पा तलावर (पीडब्लू-10), और अपीलार्थी के वकील के इस तर्क पर विचार करें कि

यल्लापागौडा कागदल (पीडब्लू-7), भीमप्पा तलावर (पीडब्लू-8), गादिगेप्पा (2021) 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तलावर (पीडब्लू-9) और हनमप्पा तलावर (पीडब्लू-10) गवाह हैं। यल्लप्पगौड़ा कागदल (पीडब्लू-7) ने अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने अपीलार्थी को लगभग 8 साल की उम्र में एक लड़की को अपने कंधे पर लिए हुए देखा था: 30 28 दिसंबर 2010 को अपराह्न। यल्लपगौड़ा के विपरीत (देखने की तारीख से संबंधित पीडब्लू-7) के बयान, भीमप्पा तलावर (पीडब्लू-8), गादिगेप्पा तलावर (पीडब्लू-9) और हनमप्पा तलावर (पीडब्लू-10) ने बयान दिया है कि उन्होंने अपीलार्थी को बंदूक के साथ देखा था।

30 दिसंबर 2010 को लगभग 8 बजे बैग और उसके कंधे पर एक बच्ची: 30 अपराह्न। इस तारीख-30 दिसंबर 2010-का उल्लेख बार-बार भीमप्पा तलावर (पीडब्लू-8) और हनमप्पा तलावर (पीडब्लू-10) और एक बार गादिगेप्पा तलावर (पीडब्लू-9) ने किया है। अपीलार्थी के वकील ने इन तिथियों की विसंगति पर जोर दिया है। दूसरी ओर, राज्य

13. इस पहलू पर कि यल्लापागौड़ा कागदल (पीडब्लू-7), भीमप्पा तलावर (पीडब्लू-8), गादिगेप्पा तलावर (पीडब्लू-9) और हनमप्पा तलावर (पीडब्लू-10) लगाए गए गवाह हैं, सबसे पहले हम स्थल मानचित्र (प्रदर्शनी पी-8) पर ध्यान देते हैं जो उस स्थान/स्थान को इंगित करता है जहां यल्लापागौड़ा है। कागदल (पीडब्लू-7) गाँव से धारा तक का मार्ग भी है, जो लगभग एक किलोमीटर लंबा है। श्रीनिवासरेड्डी रामनगौड़ा होसमनी (पीडब्लू-15) ने पदच्युत किया है कि बेनिहल्ला के तट पर उनके खेत के बगल में अपशिष्ट झाड़ियाँ होने के कारण झाड़ियों के माध्यम से धारा तक जाना मुश्किल था। उनकी जमीन के बगल में, दूसरों के खेत हैं, जिसके आगे एक कब्रिस्तान था जहाँ लोग आम तौर पर विषम समय पर नहीं जाते थे।

14. दूसरा, हम यह मानने के लिए अच्छे और ठोस कारण देखते हैं कि भीमप्पा तलावर (पीडब्लू-8) द्वारा अपदस्थ की गई तारीख 30 दिसंबर 2010 है। गादिगेप्पा तलावर (पीडब्लू-9) और हनमप्पा तलावर (पीडब्लू-10) उस सही तारीख को याद करने में विफल रहने के कारण हैं जब उन्होंने अपीलार्थी को एक बोरे के साथ और लड़की को उसके कंधे पर देखा था, न कि इस तथ्य पर गलत बयान के कारण कि अपीलार्थी को आईआरएपीपीए सिडडएपीपीए मुरगन्नवर बनाम ले जाते हुए देखा गया था।

कर्नाटक राज्य [संजीव खन्ना, जे.]

बच्चा लगभग 8 बजे: 30 पी. एम गवाह गाँव के निवासी हैं और चूंकि उनके साक्षय घटना के लगभग एक साल बाद दर्ज किए गए थे, इसलिए उन्हें संभवत: देखने की तारीख याद नहीं होगी, क्योंकि तिथियाँ, विशेष रूप से ग्रेगोरियन कैलेंडर में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत प्रासंगिकता या परिणाम नहीं हो सकती हैं।

15. इसके अलावा, जो बात हमारे लिए भारी पड़ी है वह निर्विवाद तथ्य है कि 29 दिसंबर 2010 को हनमप्पा (पीडब्लू-4) ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। व्यक्ति रिपोर्ट (पी-6 प्रदर्शित करें) लगभग 5 बजे: 00 30 दिसंबर 2010 को आर के माता-पिता, संगनबसप्पा (पीडब्लू-1) और शिवलीला (पीडब्लू-19) ने

2010. बल्कि, 30 दिसंबर 2010 वह तारीख थी जिस पर इन गवाहों ने अन्य ग्रामीणों को सूचित किया था कि उन्होंने अपीलार्थी को लगभग दो दिन पहले एक छोटी लड़की को अपने कंधे पर लिए हुए देखा था। भीमप्पा तलावर (पीडब्लू-8), गादिगेप्पा तलावर (पीडब्लू-9) और हनमप्पा तलावर (पीडब्लू-10) द्वारा दिए गए बयानों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि वे 30 दिसंबर 2010 को सांगनाबसप्पा (पीडब्लू-1) से मिले थे और उन्हें अपने देखने के बारे में सूचित किया था। इस प्रकार, तिथियों की असंगतता को समय बीतने के कारण अनजाने में या तनावपूर्ण स्मृति के रूप में समझाया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी के खिलाफ मामला विस्थापित नहीं होता है जिसे अभियोजन पक्ष ने बनाया है। 16. अपीलार्थी के प्रकटीकरण बयान के आधार पर शव की बरामदगी के सवाल पर, हमने बयानों का उल्लेख किया है

गादिगेप्पा तलावर (पीडब्लू-9), हनमप्पा तलावर (पीडब्लू-10), राजेशाब नदाफ (पीडब्लू-11), शंकरप्पा तडासी (पीडब्लू-12), श्रीनिवासरेड्डी

रामनगौड़ा होसमनी (पीडब्लू-15) और बी. विजयकुमार (पीडब्लू-24)। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची है कि आर के शव की बरामदगी अपीलार्थी के बयान पर आधारित थी। शव को दो पत्थरों के साथ एक बोरे में छुपाया गया था और उस धारा में विसर्जित कर दिया गया था जिसमें लगभग बीच में पानी था। यह तथ्य कि गादिगेप्पा तलावर (पीडब्लू-9) और हनमप्पा तलावर (पीडब्लू-10) ने लगभग समान तर्ज पर पदच्युत किया था, किसी भी तरह से विसंगति को नहीं दर्शाता है, बल्कि [2021] 11 एस. सी. आर. की ओर से एक संभावित चूक को दर्शाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालत उनके साक्षय को दर्ज करती है। शांति देवी बनाम। राजस्थान राज्य, 1 इस न्यायालय ने अभियुक्त के कहने पर मृतक के शव की बरामदगी के तथ्य को अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए एक मजबूत परिस्थिति माना था। इसी तरह, रंजीत कुमार हलदर बनाम। सिक्किम राज्य, 2 अभियुक्त के प्रकटीकरण बयान के आधार पर शव की बरामदगी को उसकी दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए उसके खिलाफ एक बहुत ही मजबूत आपत्तिजनक परिस्थिति माना गया था।

17. यह हमें चिकित्सा साक्षय और इस सवाल पर लाता है कि क्या यह अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन करता है कि आर के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी।

28 दिसंबर 2010। डॉ. गिरीश मरादी (पीडब्लू-20) ने 1 जनवरी 2011 को 10 बजे आर की पोस्टमॉर्टम जांच की थी: 00 ए. एम. उनकी रिपोर्ट विस्तृत है और योनि के ऊपर कटे हुए घाव, पूर्ववर्ती रूप से मूत्रमार्ग तक, और टूटे हुए हाइमेन को संदर्भित करती है। गर्दन के अंदरूनी हिस्से में नरम ऊतक की चोट भी थी।

18. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मौत का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था न कि डूबने के कारण। उक्त की पुष्टि करने के लिए

स्थिति, पीडब्लू-20 ने फेफड़ों का तैरता हुआ परीक्षण किया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि शरीर थोड़ा सड़ गया था और पूरे शरीर की त्वचा भी छिल गई थी। छोटी और बड़ी आंतों के साथ-साथ फेफड़े भी भरे हुए थे। जाँच पंचनामा (प्रदर्शनी पी-2) में लिखा है कि चेहरा सूजा हुआ लग रहा था और शरीर की त्वचा इधर-उधर टूटी हुई लग रही थी। कुछ स्थानों पर यह काला भी हो गया था। शरीर था।

गर्दन से कमर तक सूज गया था और कुछ स्थानों पर त्वचा फट गई थी और उसका रंग काला हो गया था। इसी तरह, पैर सूज गए थे और त्वचा फटी हुई थी, काली हो गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (प्रदर्शनी पी-11) मृत्यु के समय को जाँच से कुछ घंटे पहले 72-86 के रूप में दर्ज करती है। यह होगा अभियोजन पक्ष के संस्करण के साथ पुष्टि करें कि आर का 28 दिसंबर 2010 को बलात्कार और हत्या कर दी गई थी।

19. मृत्यु के समय के बारे में अपनी राय की पुष्टि करने के लिए हमने मोदी की मेडिकल न्यायशास्त्र की पाठ्यपुस्तक में व्यक्त राय का अध्ययन किया है और

टॉक्सिकोलॉजी, 25 वां संस्करण (2016), अध्याय XV-पोस्टमॉर्टम परिवर्तन और मृत्यु का समय। पृष्ठ 352 पर, ग्रंथ में कहा गया है कि पानी में शरीर के सड़ने की दर हवा के संपर्क में आने वाले शरीर की तुलना में अधिक विश्वसनीय है क्योंकि पानी में तापमान अधिक समान होता है और शरीर हवा से सुरक्षित रहता है। आम तौर पर, शरीर को सड़ने के समान स्तर से गुजरने में हवा की तुलना में पानी में दोगुना समय लगता है। प्रक्रिया मंद है,

1 (2012) 12 एस. सी. सी. 158, पैरा 17 पर।

2 2 (2019) 7 एस. सी. सी. 684 आई. आर. ए. पी. पी. ए. सिददाप्पा मुर्गन्नवर बनाम। कर्नाटक राज्य [संजीव खन्ना, जे.]

जब कोई शरीर गहरे पानी में पड़ा होता है और कपड़े से अच्छी तरह से संरक्षित होता है। हालाँकि, जब शरीर सीवेज से दूषित पानी में पड़ा होता है तो इसमें तेजी आती है। शरीर का प्रवाह तब होता है जब जलमग्न शरीर के भीतर अपघटन या सड़न की गैसें विकसित होती हैं। भारत में, जलमग्न शरीर गर्मियों में

24 घंटों के भीतर और दो से तीन दिनों या उससे अधिक के भीतर, और कभी-कभी सर्दियों में एक सप्ताह से अधिक समय में सतह पर आ जाता है। समशीतोष्ण जलवायु में एक जलमग्न शरीर गर्मियों में एक सप्ताह के भीतर और सर्दियों में लगभग एक पखवाड़े में तैरता है। एक विघटित पिंड के प्रवाह की शक्ति इतनी अधिक होती है कि कुछ मामलों में यह भारी पत्थर से भारित होने के बावजूद सतह पर तैर सकता है। शरीर के प्रवाह के लिए आवश्यक अवधि उम्र, लिंग, शरीर की स्थिति, वर्ष का मौसम और पानी पर निर्भर करती है। जिन पिंडों का वजन हल्का होता है, उनमें विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण कम होता है और इसलिए वे जल्दी तैरते हैं।

20. वर्तमान मामले के संदर्भ में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि यह घटना दिसंबर के अंत में, यानी सर्दियों में हुई थी। हम.

शुरू किया। इसलिए, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जाँच पंचनामा उस तारीख की पुष्टि करते हैं जब अपराध किया गया था और पूरी तरह से पुष्टि करते हैं और संगनबसप्पा (पीडब्लू-1), हनमप्पा के नेत्र साक्षय का समर्थन करते हैं। (पीडब्लू-4), वेंकव्वा पाटिल (पीडब्लू-5), अजीत पाटिल (पीडब्लू-6), यल्लापागौड़ा कागदल (पीडब्लू-7), भीमप्पा तलावर (पीडब्लू-8), गादिगेप्पा तलावर (पीडब्लू-9), हनमप्पा तलावर (पीडब्लू-10), राजेशब नदाफ (पीडब्लू-11), शंकरप्पा तडासी (पीडब्लू-12), श्रीनिवासरेड्डी रामनगौड़ा होसमनी (पीडब्लू-15) और बी. विजयकुमार (पीडब्लू-24)।

अपीलार्थी के अपराध को स्थापित करता है। हालाँकि अपीलार्थी के वकील ने बड़ी मेहनत से अभियोजन पक्ष के मामले में अंतर्विरोधों और विसंगतियों को उजागर करने की कोशिश की है, लेकिन हमारा मानना है कि वे अंतर्विरोध पैदा नहीं करते हैं। इस न्यायालय के मन में उचित संदेह है। पाँच गुना परीक्षण निर्धारित [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम में जे. फजल अली द्वारा। महाराष्ट्र राज्य 3 संतुष्ट है क्योंकि जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है वे पूरी तरह से स्थापित हैं; वे प्रकृति और प्रवृत्ति में निर्णायक हैं; साक्षय की शृंखला इतनी पूर्ण है कि सुसंगत निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है। अपीलार्थी की निर्दोषता के साथ; स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप हैं और साबित की गई परिकल्पना को छोड़कर हर परिकल्पना को बाहर करते हैं। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के साथ-साथ जिला और सत्र न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को आर. आदि के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराने के निर्णय को बरकरार रखा जाता है।

22. अभियुक्त के दोष को स्थापित करने के बाद, हम सजा के मुद्दे की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी को धारा के तहत अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई

गई है। 302 , उच्च न्यायालय द्वारा किस सजा की पुष्टि की गई है, साथ ही इस फैसले के पैराग्राफ 1 में जेल की सजा दी गई है।

23. विवादित निर्णय से पता चलता है कि उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड पर विचार करने में मामले-कानून का व्यापक अध्ययन किया गया है।

अदालत की सुनवाई। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के समग्र दृष्टिकोण पर, उच्च न्यायालय की राय थी कि मौत की सजा की पुष्टि की जानी चाहिए, कोई कम करने वाली परिस्थितियां नहीं पाई जानी चाहिए, और कई परेशान करने वाली परिस्थितियां थीं क्योंकि अपीलकर्ता आर के लिए जाना जाता था, जिसने उस पर पूरा भरोसा और विश्वास किया और स्वेच्छा से उसे अपने साथ ले जाने की अनुमति दी, लेकिन उसके साथ सबसे भीषण तरीके से बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई और उसके शरीर को नदी में फेंक दिया गया। अदालत ने कहा कि ". जब 5 साल की एक निर्दोष और असहाय लड़की के साथ एक ऐसे व्यक्ति द्वारा इस तरह का बर्बर व्यवहार किया जाता है जो उसके विश्वास की स्थिति में था, तो उसकी दोषीता अत्यधिक भ्रष्टता का अनुपात मानती है और एक आम व्यक्ति के मन में घृणा की भावना पैदा करती है।" अपीलार्थी की प्रेरणा, भेद्यता मृतक आर में से, अपराध की व्यापकता और उसके निष्पादन, न्यायालय ने मामले को "दुर्लभतम में दुर्लभतम" श्रेणी में आने वाला माना, और दूसरों को अपराध करने से रोकने के लिए मौत की सजा का वारंट दिया।

नृशंस अपराध, और समाज की घृणा को जोरदार अभिव्यक्ति देने के लिए

इस तरह के अपराध।

24. सजा पर आदेश को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि दोषसिद्धि और सजा पर एक सामान्य आदेश पारित करके, उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) का उल्लंघन किया है।

3 (1984) 4 एस. सी. सी. 116 आई. आर. ए. पी. पी. ए. सिद्दाप्पा मुर्गन्नवर बनाम। कर्नाटक राज्य [संजीव खन्ना, जे.]

1973 (संक्षेप में, 'सी. आर. पी. सी.') याचिकाकर्ता को सजा सुनाने पर अलग से नहीं सुनना। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय परिस्थितियों को कम करने का आह्वान करने में विफल रहा, कि कोई उत्तेजक परिस्थितियां नहीं थीं, कि मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम' की श्रेणी में नहीं आता है, कि अपीलकर्ता केवल 25 वर्ष का था जिसे सुधारा जा सकता था और

निर्विवाद रूप से बंद कर दिया गया है, और यह कि मौत की सजा आम तौर पर तब दी जानी चाहिए जब कोई अन्य विकल्प नहीं बचा हो। इसके अलावा उपरोक्त, अपीलार्थी के वकील ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के लिए कम करने वाले कारकों को भी नीचे सूचीबद्ध किया है:

" 1) हत्या पूर्व नियोजित तरीके से नहीं की गई थी। हालांकि

5 साल की बच्ची से बलात्कार अपने आप में एक गंभीर अपराध है, अपराध करने के तरीके को वीभत्स या वीभत्स नहीं कहा जा सकता है।

शैतानी।

2) अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अभियुक्त में सुधार नहीं किया जा सकता है। राज्य यह दिखाने के लिए सामग्री नहीं लाया है कि आरोपी समाज के लिए एक निरंतर खतरा है और आजीवन कारावास की सजा देने का विकल्प निर्विवाद रूप से बंद है।

3) अभियुक्त की कम उम्र एक शमन कारक है। 4) आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी एक शमन कारक है।

5) जेल में आचरण पर विचार करना होगा।

6) सामाजिक आर्थिक आधार पर विचार नहीं किया गया है, जिसमें शामिल हैं

गरीबी और शिक्षा का अभाव। 7) शायद अभियुक्त, परिस्थितियों को कम करने के साक्षय देने के अपने अधिकार से अनजान होने के कारण, इस पहलू पर सामग्री प्रस्तुत करने के लिए समय का अनुरोध नहीं किया। यद्यपि यह सजा को दूषित नहीं करेगा, लेकिन इस माननीय न्यायालय के समक्ष एक आदेश देने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

8) फैसले के बाद से आरोपी पिछले 9 वर्षों से मौत की सजा काट रहा है। 08.03.2012 पर ट्रायल कोर्ट का।

अपीलार्थी के वकील ने गांधी रिसर्च फाउंडेशन, जलगाँव द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है जिसमें कहा गया है कि

अपीलार्थी ने 'गांधी विचार संस्कार परीक्षा [2021] 11 एस. सी. आर. में भाग लिया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2017-18 गांधी रिसर्च फाउंडेशन, जलगांव द्वारा आयोजित। फाउंडेशन की वेबसाइट से ऐसा प्रतीत होता है कि यह "जी. वी. एस. पी. (गांधीवादी मूल्यों के लिए सतत शांति गांधी विचार संस्कार परीक्षा)" नामक एक देशव्यापी परीक्षा आयोजित करता है।

युवा पीढ़ी दैनिक जीवन में अहिंसा की कला "। पुणे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त एक शोध संस्थान योगविद्या गुरुकुल द्वारा 22 दिसंबर 2016 को जारी एक अन्य प्रमाण पत्र में कहा गया है कि

अपीलार्थी ने योग प्रवेश पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हमने बेलगावी के केंद्रीय कारागार अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से 4 सितंबर 2021 को एक वकील को संबोधित पत्र को भी रिकॉर्ड में लिया है, जिसमें कहा गया है कि अपीलार्थी को मौखिक सामान्यीकृत उप श्लेष्म फाइब्रोसिस का पता चला है, जो प्रारंभिक स्थिति में है।

25. वर्तमान अपील में प्रतिवादी राज्य द्वारा दायर आपत्ति का बयान उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से बल प्राप्त करना चाहता है।

न्यायालय ने ऊपर उल्लेख किया है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी राज्य ने इस आधार पर मौत की सजा का बचाव किया है कि अपीलार्थी की कार्रवाई समाज के नैतिक ताने-बाने को खतरे में डालने वाला एक गंभीर और असामान्य अपराध है। निवेदन में कहा गया है कि यह मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मामलों की श्रेणी में आता है क्योंकि अपीलार्थी ने बिस्कुट देने के बहाने पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की और उसके शव को नदी में फेंक दिया। मृतक आर प्रतिरोध प्रदान नहीं कर सकता था, अपराध के लिए बहुत कम उकसावा। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों पर निर्भर करते हुए जो दर्शाता है कि औसतन 77

वर्ष 2020 में भारत में प्रतिदिन बलात्कार के कृत्य किए गए थे, वकील ने अपीलार्थी के कार्यों के लिए निवारक दंड की मांग की है।

26. इस अपील के पृष्ठ 186 और 187 के अवलोकन से पता चलता है कि दोषी ठहराए जाने के दिन ही निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी

एक सामान्य आदेश देखें। अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) का उल्लंघन है, जो आदेश देता है कि अभियुक्त को सजा पर सुना जाना चाहिए। सांता सिंह बनाम। पंजाब राज्य, जब अभियुक्त को दोषी ठहराया गया और एक ही फैसले से मौत की सजा सुनाई गई, तो इस अदालत की 2-न्यायाधीशों की पीठ ने पाया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) का उल्लंघन किया गया था और सजा को दरकिनार कर दिया और मामले को सत्र अदालत में भेज दिया। रिमांड के पहलू पर डागडू और अन्य बनाम में 3-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार किया गया था। महाराष्ट्र राज्य, 5 जिसमें यह देखा गया कि

4 (1960) 4 एससीसी 190

5 (1977) 3 एस. सी. सी. 68 आई. आर. ए. पी. पी. ए. सिद्दाप्पा मुर्गन्नवर बनाम। कर्नाटक राज्य [संजीव खन्ना, जे.]

निचली अदालत की ओर से सजा सुनाने पर आरोपी को सुनने में विफलता के लिए आवश्यक रूप से उस अदालत में रिमांड की आवश्यकता नहीं है। यदि निचली अदालत ऐसा करने में विफल रही है और आरोपी

उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देता है, तो यह उल्लंघन को सुधारने के लिए उच्च न्यायालय के लिए खुला होगा।

दण्डादेशक प्रश्न पर अभियुक्तकेँ सुननाइ। अधिक सटीक रूप से, जे. गोस्वामी ने दगडू (ऊपर) में कहा:

" जब भी किसी अपील न्यायालय को पता चलता है कि धारा का अधिदेश 235 (2) सजा पर सुनवाई के लिए सीआरपीसी का पालन नहीं किया गया था

के साथ, यह, तुरंत, अपील अदालत का कर्तव्य बन जाता है कि वह

अभियुक्त को उसके सामने कुछ भी पेश करने का पर्याप्त अवसर वह जो भी उचित तरीके से सामग्री चुनता है।

इस मुद्दे पर इस न्यायालय के कई फैसलों का विश्लेषण करते हुए उदय यू.

ललित, जे., शत्रुघ्न बबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य,

6

यह मत व्यक्त किया कि केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के उल्लंघन के कारण, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दगडू (ऊपर) में निर्धारित सिद्धांत के आलोक में, हमने अपीलार्थी को सभी प्रासंगिक सामग्रियों को हमारे सामने रिकॉर्ड पर रखने के लिए पर्याप्त और पर्याप्त अवसर प्रदान किया है।

27. शत्रुघ्न बबन मेशराम (ऊपर) में, के 67 निर्णय

पिछले 40 वर्षों में उच्चतम न्यायालय का सर्वेक्षण किया गया था जिसमें निचली अदालत या उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 376 और 302 के तहत कथित अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी और जहां पीड़ितों की आयु 16 वर्ष से कम थी। यह देखा गया था कि:

26 - ए, 33-ए और 41-ए) उक्त 15 मामलों में से मृत्युदंड समीक्षा याचिकाओं में इस न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया था।

शेष 12 मामलों में से दो मामलों में (जहां पुनर्विचार याचिकाएं हैं)

मोहम्मद में निर्धारित कानून के संदर्भ में खुली अदालत में सुनवाई की गई। आरिफ

वी. भारत का सर्वोच्च न्यायालय), अर्थात्, क्र. सं. के मामलों में। नं. 51 - ए और

65 - ए, इस न्यायालय द्वारा मौत की सजा की पुष्टि की गई थी और

पुनरीक्षण याचिकाएँ खारिज कर दी गईं। इस प्रकार, आज की तारीख में, मृत्यु

67 में से 12 मामलों में सजा की पुष्टि हुई है जहां प्रधान न्यायाधीश ने

कथित रूप से किए गए अपराध धारा 376 और 302 के तहत थे।

आई. पी. सी. और जहां पीड़ितों की आयु लगभग 16 वर्ष या उससे कम थी।

6 (2021) 1 एससीसी 596 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

35.2 . इन 67 मामलों में से कम से कम 51 मामलों में पीड़ितों की आयु 12 वर्ष से कम थी। उन 51 मामलों में से 12 में शुरू में मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, 3 मामलों में (क्र. सं. नं. 26 - ए, 33 ए और 41-ए) मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया था।

समीक्षा में "।

उपरोक्त आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि पीड़ित की कम उम्र को इस न्यायालय द्वारा लागू करने के लिए एकमात्र या पर्याप्त कारक नहीं माना गया है।

एक मौत की सजा। यदि यह मामला होता, तो सभी, या लगभग सभी, 67 मामलों की परिणति अभियुक्त को मौत की सजा देने में होती। बंटू उर्फ नरेश गिरि बनाम के मामले में। मध्य प्रदेश राज्य, जहाँ अपीलार्थी पर छह साल की लड़की के साथ बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया गया था, इस अदालत ने कहा कि हालाँकि उसका कार्य जघन्य था और इसकी निंदा की जानी चाहिए थी, लेकिन यह दुर्लभ से दुर्लभ नहीं था, इसलिए इसकी आवश्यकता थी

28. विद्वत ट्रायल कोर्ट ने दर्ज किया है कि मौत की सजा इस आधार पर दी गई थी कि "अपराध एक मामले में किया गया था। बेहद शैतानी तरीके से और यह कि यह क्रूर, बर्बर और विद्रोही था। अपीलार्थी के वकील द्वारा यह ठीक ही बताया गया है कि निचली अदालत ने केवल यह देखा कि अपीलार्थी बहुत कम उम्र (23/25 वर्ष) का था, जो बहुत गरीब परिवार से संबंधित था, लेकिन उसने इस पर विचार नहीं किया है।

ये शमन कारकों के रूप में हैं। उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि कोई भी कम करने वाली परिस्थितियाँ नहीं हैं। हम इस अवलोकन को गलत पाते हैं। को।

प्रारम्भ में, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, न ही

यह साबित करने के लिए प्रस्तुत साक्षय कि अपराध किया गया

क्या कोई था यह पूर्व नियोजित था। जैसा कि अपीलार्थी के वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है,

राज्य द्वारा यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं दिखाई गई है कि अपीलार्थी में सुधार नहीं किया जा सकता है और यह समाज के लिए निरंतर खतरा है। इसके विपरीत, मुख्य अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, बेलगाम द्वारा जारी 17 जुलाई 2017 की मृत्युदंड कैदी नामित सूची से यह देखा जा सकता है कि जेल में अपीलार्थी का आचरण 'संतोषजनक' रहा है। हम जेल में अपीलार्थी के आचरण को उसके पिछले कार्यों के लिए प्रायश्चित के रूप में मानेंगे, जो सुधार और मानवीय मोड़ लेने की उसकी इच्छा को भी दर्शाता है। इसके अलावा, अपराध करने के समय अपीलार्थी की कम उम्र

1 (2001) 9 एस. सी. सी. 615 आई. आर. ए. पी. पी. ए. सिददाप्पा मुर्गन्नवर बनाम। कर्नाटक राज्य [संजीव खन्ना, जे.]

(23/25 वर्ष), 8 उसकी कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, 'किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि की अनुपस्थिति, अपराध की गैर-पूर्व-नियोजित प्रकृति, 1 1 और

तथ्य यह है कि उसने लगभग 10 साल 10 महीने जेल में बिताए हैं, जो हमें अन्य उत्तेजक कारकों के रूप में प्रभावित करता है, जो मौत की सजा के खिलाफ जोड़ते हैं जो केवल दुर्लभतम मामलों में ही दी जाती है। प्रत्यर्थी राज्य ने इस संभावना को साबित करने के लिए कुछ नहीं दिखाया है कि अपीलार्थी समाज के लिए निरंतर खतरे के रूप में हिंसा के कृत्य करेगा; इसके विपरीत, जेल में उसके आचरण को इस प्रकार वर्णित किया गया है - संतोषजनक। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी ने एक घृणित अपराध किया है, और इसके लिए हम मानते हैं कि आजीवन कारावास उसके कार्यों के लिए पर्याप्त सजा और पश्चाताप के रूप में काम करेगा, यह विश्वास करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अगर उसे जीवित रहने दिया जाता है तो वह समाज के लिए एक गंभीर और गंभीर खतरा है, और हमारी राय में आजीवन कारावास भी ऐसे किसी भी खतरे को दूर करेगा। हम मानते हैं कि सुधार, पुनर्वास की उम्मीद है, और इस प्रकार आजीवन कारावास का विकल्प निश्चित रूप से बंद नहीं है और इसलिए स्वीकार्य है।

29. इस प्रकार, हम सत्र न्यायालय द्वारा लगाई गई और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त शमन कारक पाते हैं, इस निर्देश के साथ कि अपीलार्थी संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए समय से पहले रिहाई/माफी का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह वास्तविक कारावास से नहीं गुजरता है।

कम से कम तीस (30) वर्ष। अन्य वाक्यों को बनाए रखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि वाक्य समवर्ती रूप से चलेंगे न कि लगातार। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अपीलार्थी को संहिता की धारा 376 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जो दंड संहिता की धारा 303 के तहत अपराध के लिए भी लगाया गया है। 30. उपरोक्त कारणों से, हम अपीलार्थी को संहिता की धारा 302,376,364,366 ए और 201 के तहत अपराधों और धाराओं के तहत अपराधों के लिए दी गई सजा के लिए दोषी ठहराते हैं।

376 , 364 , 366 कोड का ए और 201। हालाँकि, अपीलें आंशिक रूप से हैं।

मृत्युदंड को इस शर्त के साथ आजीवन कारावास में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई है कि अपीलार्थी 30 वर्ष के वास्तविक कारावास से गुजरने से पहले समय से पहले रिहाई/छूट का हकदार नहीं होगा।

8 पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (2015) 6 एस. सी. सी. 652 9 मुल्ला बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2010) 3 एस. सी. सी. 508

10 पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2015) 6 एस. सी. सी. 652 1 1 मोहन बनाम। टी. एन. राज्य, (1998) 5 एस. सी. सी. 336; अख्तर बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (1999) 6 एससीसी 60 [2021] 11 एस. सी. आर.

संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए और आगे दी गई सजाएं समवर्ती रूप से चलेंगी न कि लगातार। 1 2 12

अपीलों और सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है।

याचिकाओं का निपटारा

निधि जैन 12 भारत संघ बनाम में संवैधानिक पीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हुए। वी. श्रीहरण उर्फ मुरुगन और अन्य, (2016) 7 एस. सी. सी. 1, उपरोक्त निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा।